शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक :

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

कमार जनजाति में बांस-बर्तन निर्माण

एक मोनाग्राफ अध्ययन

निर्देशन
शम्मी आबिदी IAS

प्रस्तुतिकरण

निर्मल बघेल | दीपा शाईन

क्षेत्रकार्य एवं सहयोग

डॉ. अनिल विरूलकर | अमर दास | मीना धनेलिया | अंकिता कुंजाम

संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)

अनुक्रमणिका

अध्याय - 01 : पृष्ठभूमि

जनजातीय समुदाय अपने जीवन निर्वाह हेतु विभिन्न कार्यों में संलग्न रहती है। जीवन उपयोगी आवश्यकता या अर्थ के संचय की पूर्ति अपने प्राथमिक एवं द्वितीयक कार्यों के माध्यम से करती है। वह उत्पादन व उपभोग अर्थशास्त्र की विस्तृत श्रेणी में आती है। जनजातीय अर्थव्यवस्था के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग–अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किये है। किन्तु जनजातीय समाज के आर्थिक संगठन को किसी एक वर्गीकरण के माध्यम से व्यक्त नही किया जा सकता है। प्रत्येक जनजाति विविध आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करती है। यह विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राज्य की जनजातियों के आर्थिक क्रियाओं को कृषि, खाद्य संकलन, पशुपालन, शिल्पकार एवं श्रमिक आधार पर विस्तृत श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

राज्य में निवासरत विभिन्न जनजातीय समुदाय अपने विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्यों, जीवन संस्कारों, रीति–रिवाजों, धार्मिक जीवन, राजनैतिक संगठन तथा परम्परागत रूप से किये जाने वाले कार्यों के आधार पर पृथक दृष्टिगत होती है। जो इनके विशिष्ट जीवनशैली को निरूपित करती है। अन्य समुदाय के साथ–साथ जनजातीय समुदायों में भी इनके द्वारा पारंपरिक व्यवसायों में संलग्नता रही है। यह परम्परागत व्यवसाय इनके सामाजिक व आर्थिक जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

विविध प्रकार के हस्तशिल्पियों का कार्य करने वाले शिल्पकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाते है। कुछ जनजातियां अपने आय में वृद्धि हेतु अपने खाली समय में प्रायः एक सहायक व्यवसाय के रूप में शिल्पकला को अपनाते है किन्तु ऐसे बहुत कम शिल्पकार है जो केवल अपने हस्तशिल्प के सहारे ही जीवनयापन करते है। राज्य में निवासरत कमार जनजाति उक्त वर्गीकरण अनुसार एक शिल्पकार जनजाति समुदाय है। कमार जनजाति बांस निर्मित उपकरण, घरेलु बर्तन, टोकरी, संगीत वाद्ययंत्र, औजार, चटाई आदि बनाते है।

राज्य में बांस वन क्षेत्र

छत्तीसगढ़ राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.21 प्रतिशत (59722 वर्ग किमी.) भाग में वनक्षेत्र का विस्तार है। कुल वनक्षेत्र का 18.51 प्रतिशत (11060 वर्ग किमी.) बांस वनक्षेत्र के रूप में संरक्षित जहां इसका 62.78 प्रतिशत (6943 वर्ग किमी.) वन क्षेत्र में शामिल है।

बांस वनक्षेत्रों में प्रमुख रूप से Bambusa balcooa, Bambusa tulda, Bambusa nutans, Bambusa vulgaris (green), Dednrocalamus longispathus, Dendrocalamus stocksii, Dendrocalamus brandisii, Dendrocalamus strictus एवं कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों के आधार पर बांस की विभिन्न प्रजातियां पायी जाती है।



राज्य में Dendrocalamusstrictus प्रजाति के बांस अधिकांशतः पाये जाते है। यह बांस मुख्य रूप से रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़, कबीरधाम, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बिलासपुर, मरवाही, कटघोरा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, धरमजयगढ़, कोरबा, कांकेर, पूर्व–पश्चिम भानुप्रतापपुर, केशकाल, दक्षिण कोण्डागांव, सरगुजा बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ एवं जशपुर वनमण्डलों में पाया जाता है। **(स्रोत - छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग-** www.cgforest.com/posts/bamboo-mission?l=Hindi)

छत्तीसगढ़ राज्य में बांसकला से जुड़े परम्परागत समुदायों तथा बांस शिल्पकारों के उत्थान के दृष्टि से राज्य में वर्ष 2006–07 से बांस मिशन संचालित है। इस मिशन अन्तर्गत निम्नांकित योजनायें संचालित की जा रही है –

1. **किसानों की पड़त भूमि में बांस वृक्षारोपण हेतु अनुदान योजना**
2. **मुख्यमंत्री बांस विकास योजना (मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना 2018-19)**
3. **बांस प्रसंस्करण इकाई योजना** -
   - i. बांस से जुड़े परम्परागत समुदायों तथा बांस शिल्पकारों को उन्नत डिजाईन विकासित करने, कौशल उन्नयन एवं निरंतर रोजगार प्रदान किया जाना।
   - ii. राज्य में संचालित बांस प्रसंस्करण केन्द्रों के संचालन, उत्पादन, शिल्पकारों के कौशल विकास हेतु राशि प्रदाय किया जाना।
   - iii. शिल्पकारों को उनके उत्पाद के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराना आदि बांस प्रसंस्करण केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य है।

योजना अन्तर्गत विभिन्न समुदायों में कला का ज्ञान इन्हें परम्परागत रूप से मिलता है तथा एक दूसरे का अनुसरण कर ये वर्तमान में भी अपने ज्ञान से परम्परागत तकनीक का उपयोग कर इस कला में पारंगत है और अपने जीवन का निर्वहन कर रहे है। अतः राज्य शासन द्वारा ऐसे कारीगरों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने व उनके कौशल को एक मंच प्रदाय करने के उद्देश्य से बांस आधारित कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं उनके विकास हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में **28 बांस प्रसंस्करण केन्द्र** संचालित है।



बांस प्रसंस्करण केन्द्रों में प्रशिक्षित व अन्य शिल्पकारों के द्वारा तैयार किये गये उत्पादों के विक्रय और उनके प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से राजधानी रायपुर में वर्ष 2010 में **बैम्बू एम्पोरियम** की स्थापना की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार के द्वारा परम्परागत रूप से बांस–बर्तन निर्माण मे संलग्नता इनके जीवन से जुड़ा हुआ है। इनके द्वारा बांस से अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं, शिकार उपकरण, मत्स्य आखेट के उपकरण, कृषि कार्य उपयोगी वस्तुएं, एवं आवास निर्माण में बांस का उपयोग तथा वर्तमान समय में विभिन्न घरेलु

सजावटी वस्तुओं का निर्माण इन्हें विशिष्टता प्रदान करता है। अतः इनकी इस विशिष्ट कला को लिपिबद्ध करने कमार जनजाति में बांसकला का मोनोग्राफ अध्ययन किया गया है।



अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत कमार जनजाति में बांसकला का मोनोग्राफ अध्ययन का उद्देश्य निम्नांकित है–

1. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में उनके बांसकला के पारंपरिक ज्ञान का अध्ययन करना।
2. कमार जनजाति में बांस का उनके सामाजिक, आर्थिक जीवन पर महत्व का अध्ययन करना।



3. कमार जनजाति के जीवन शैली बांस की उपयोगिता एवं आर्थिक जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करना।
4. कमार जनजाति द्वारा बांस का उपयोग कर बनाये जाने वाले विभिन्न वस्तुओं एवं उपकरणों का डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाना अध्ययन का उद्देश्य रहा है।

अध्ययन का महत्व

1. कमार जनजाति के विकास के लिए उनके परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप शासकीय योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन मे लाभदायक होगा।
2. कमार जनजाति की बांसकला को एक व्यापक स्तर प्रदान किये जाने एवं उन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनसे जुड़ी समस्याओं की पहचान कर नीति निर्धारण में लाभप्रद होगा।
3. जनजातीय विषयों पर अभिरूचि रखने वाले तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

अध्ययन क्षेत्र

कमार जनजाति में बांस–बर्तन निर्माण विधि के अध्ययन हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन गरियाबंद जिले के भैंसादादर, पण्डरीपानी, खरता, लिटिपारा, आमझर ग्राम, महासमुंद जिले के जुनवानी कला, एम. के. बाहरा, जोगीडीपा ग्रामों में निवासरत परिवारों से किया गया है।

अध्ययन प्रविधि

कमार जनजाति में बांस–बर्तन निर्माण विधि का मोनोग्राफ अध्ययन हेतु **प्राथमिक तथ्यों** का संकलन हेतु **साक्षात्कार अनुसूची, समूह साक्षात्कार, अवलोकन** एवं **छायाचित्र प्रविधियों** का उपयोग क्षेत्रकार्य के दौरान किया गया। क्षेत्रकार्य हेतु गरियाबंद जिले के कमार निवासरत विकासखण्डों के प्रतिनिधित्व के लिए ऐसे ग्रामों का चयन किया गया जहां कमार जनजाति द्वारा वर्तमान में भी बांस बर्तन निर्माण में परिवार संलग्न है।



द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रकाशित सम्बन्धित शोध पत्रों, पुस्तकों, जनगणना प्रतिवेदन एवं शासकीय प्रतिवेदनों से किया गया है।

राज्य की प्रमुख जनजातियां एवं उनका परंपरागत व्यवसाय

छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख जनजातियां जो वनोपज संग्रह, शिकार, मत्स्य आखेट, कृषि एवं कृषि मजदूरी के साथ–साथ बांस से टुकना–टुकिनी, झउहा, सूपा, चटाई (चाप), बीज बोनी, डाली, पर्रा, झापी आदि बनाती हैं। इस समूह में कमार, कंडरा, धनवार, सौंता, बैगा, माझी आदि जनजाति आती है। पारधी जनजाति के लोग छींद के पत्तों से झाड़ू, चटाई आदि बनाते हैं। बिरहोर, कोल, माझी मोहलाइन छाल व उरई से रस्सी बनाने का कार्य परम्परागत रूप में करती हैं वहीं मुरिया जनजाति काष्ठकला में निपुर्ण है।

जनजाति जीवन में बांस

राज्य के जनजातीय समुदायों में पूर्व समय से दैनिक जीवन, सामाजिक संस्कारों, धार्मिक जीवन, आर्थिक, वाद्ययंत्र एवं मनोरंजन के साधनों में बांस की उपयोगिता उनके जीवन का अभिन्न अंग रही है।

जनजाति समुदायों में आवास निर्माण मे घर की दीवारें, छत, दरवाजे एवं घेरा बनाने में बांस का उपयोग बहुतायता किया जाता है। इनमे घरेलु उपयोग, शिकार, मत्स्याखेट, भण्डारण, आदि की वस्तुओं/उपकरणों में जहां बांस का उपयोग किया जाता है वहीं कुछ जनजातीय समुदायों में देवगुड़ियों की **डंगइया, गोन्चा** त्यौहार में एक खिलौने के रूप में **तुपकी**, गेड़ी नृत्य में बांस की बनी **गेड़ी** का उपयोग विशेषकर है। लोकगीत धनकुल में बांस के बने **सूपा, धनुष, किरकिच्चा काड़ी (कमचील)** तथा हण्डी का उपयोग कर **धनकुल वाद्ययंत्र** का उपयोग किया जाता है वही जनजाति व गैर जनजाति समाजों में बांस की बनी बांसुरी का उपयोग मधुर संगीत के लिए परम्परागत रूप से किया जाता रहा है। (स्त्रोत – लाला जगदलपुरी : बस्तर का इतिहास एवं संस्कृति, चतुर्थ आवृत्ति 2016)

जनजातीय समुदायों में बांस न केवल भौतिक, आर्थिक संसाधन के रूप में उपयोगी है, वन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जब बांस की नई कोपल निकलती है जिसे **करील** कहा जाता है। करील को छोटे–छोटे टुकड़ो में कांट–छांट कर सब्जी के रूप में उपयोग की जाती है।

इस प्रकार जनजातीय लोक–जीवन में बांस का उपयोग सर्वत्र उपयोगी दिखाई देता है।

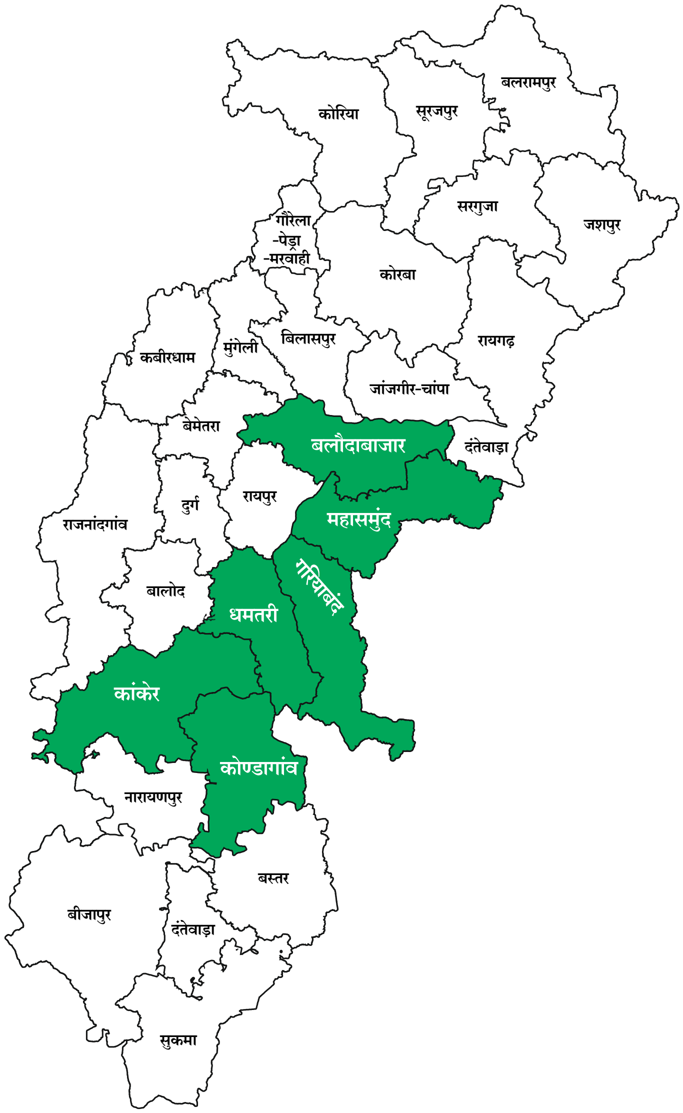
===0===

अध्याय – 02 : कमार जनजाति का संक्षिप्त परिचय

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 42 जनजातीय समुदायों एवं उसकी उपजातियों को राज्य की अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचित जनजातियों में से राज्य में निवासरत 5 अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट मापदंड यथा स्थिर या कम होती जनसंख्या, न्यून साक्षरता दर, कृषि की आदिम तकनीक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में पहचान किया गया है। वर्ष 1973 में भारत सरकार स्तर पर गठित ढेबर समिति द्वारा अन्य जनजातियों की तुलना में कम विकसित जनजति समूहों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 मे इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTGs) Perticularly Vulnareble Tribal Groups के रूप में नामकरण किया गया है।

तद्नुसार भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत अबूझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं **कमार** को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTGs) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

कमार जनजाति अपनी उत्पत्ति मैनपुर विकासखंड के **"देवडोंगर"** ग्राम से माना जाता हैं। उनका सबसे बड़ा देवता आज भी **"देवडोंगर"** की **"वामन डोंगरी"** में स्थापित है। इसे **वामन देव** के नाम से जाना जाता है। राज्य में निवासरत कमार जनजाति में निवास अधार पर मैदानी क्षेत्र के जंगलों मे निवास करने के कारण बुंदरजीवा एवं पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों में निवासरत कमार जनजाति के सदस्य पहारिया/पहारपटिया दो उपजातियों के रूप में विभक्त है।



कमार जनजाति में वंश आधारित गोत्र व्यवस्था पायी जाती है। जो टोटेमिक होते है। नेताम (कछुआ), कुंजाम (बकरा) तथा सोरी (मगरमच्छ) गोत्र समूह प्रायः बर्हिविवाही प्रकार के पाये जाते है। कमार जनजाति पितृवंशीय, पितृसत्तातमक, पितृस्थानीय परिवार को मानने वाले होते है जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है।

कमार जनजाति में कन्या एवं बालक दोनों को समान माना जाता है तथा शिशु जन्म में प्रसव कराने का कार्य स्वजातीय बुजुर्ग जानकार महिला या सुईन के द्वारा किया जाता है। जन्म के 6 दिन में छठी संस्कार किया जाता है जिसमें स्वजातीय सदस्यों के द्वारा शिशु का मुण्डन कर उसे हल्दी का लेप लगाया जाता है। इसके बाद इसी दिन शिशु का नामकरण भी किया जाता है।

कमार जनजाति में मामा–फूफू विवाह को प्राथमिकता दी जाती है जिसे दूध लौटावा कहा जाता है। विवाह 3 दिनों में सम्पन्न होता है जिसमें पहिली पूछनी, हरियर माण्डो, तेल उतारना, विदाई और चौथिया शामिल है। विवाह के रूप में लमसेना विवाह, पैठू विवाह, जयमाला विवाह को सामाजिक अधिमान्यता प्राप्त है।

मृत्यु को एक अनिवार्य प्रक्रिया माना जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरांत शव को पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया जाता है।

कमार जनजाति के लोग प्रमुख रूप से कचना–धुरवा, बुढ़ा देव, ठाकुर देव, बुढ़ी माई, धरती माता, मोगरी देव, मांगर माटी तथा माता डुमा को पूजा करते है। इनके द्वारा बीजबोनी, नवाखाई, माता पहुंचानी, महुआ भुंजनी, डुमा जात्रा, देव जात्रा, अक्ती, ईतवार तिहार और हरेली आदि त्यौहार प्रमुख रूप से मनाये जाते है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति राज्य के गरियाबंद जिले के गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, फिंगेश्वर विकासखण्ड, धमतरी जिले के धमतरी, मगरलोड, नगरी विकासखण्ड, महासमुंद जिले के महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा विकासखण्ड में बाहुल्य संख्या तथा कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखण्ड, बलौदाबाजार–भाटापारा जिले के कसडोल विकासखण्ड एवं कोण्डागांव जिले के बड़ेराजपुर विकासखण्ड मे अल्प संख्या मे निवासरत है। उक्त विकासखण्डों के कुल 409 ग्रामों मे कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल 7474 परिवार निवासरत होने संबंधी आंकड़े संस्थान द्वारा किये गये आधारभूत सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 में प्राप्त हुए है।

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या 26530 है जिसमें पुरुष जनसंख्या 13070 एवं स्त्री जनसंख्या 13460 है। इनमें स्त्री–पुरुष लिंगानुपात 1030 है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की राज्य में साक्षरता दर 47.71 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 58.79 प्रतिशत एवं स्त्री साक्षरता दर 37.00 प्रतिशत है।

जनगणना अनुसार राज्य में कमार जनजाति की अधिकांश जनसंख्या 99.15 प्रतिशत (N=26305) ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है जबकि इनकी कुल आबादी का केवल 0.85 प्रतिशत (N=225) जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवासरत है।



कमार जनजाति के आवास ग्रामों में दूर–दूर पर स्थित होते है। 8–10 कमार आवासों के समूह को डीह कहा जाता है तथा ग्राम में इनके सघन निवास क्षेत्र को **कमार टोला, कमार पारा** नाम से जाना जाता है। जनजाति की अपनी एक विशिष्ट बोली है, जिससे **कमारी बोली** कहा जाता है। यह जनजाति पूर्व में वन भूमि पर लगे वृक्षों को जलाकर उसकी राख में अनाज की बीज छिढ़ककर आदिम पद्धति से कृषि करती थी जिसे ''**बेवरा खेती**'' या ''**डहिया खेती**'' कहते हैं। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति आज भी परंपरागत रूप से जीविकोपार्जन हेतु बांस–बर्तन निर्माण पर निर्भर करते हैं।

===0===

अध्याय – 03 : कमार जनजाति में बांस का महत्व

कमार जनजाति में जीवन के प्रारंभ अर्थात एक शिशु के जन्म एवं मृत्यु तक बांस पर इनकी निर्भरता या बांस की उपयोगिता दिखाई देती है। बांस का संबंध इनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन आदि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जब एक शिशु का जन्म होता है तब वह माता के गर्भनाल से जुड़ा होता है, इस नाल को काटने में कमार जाति द्वारा **बांस की महीन पत्ती** का उपयोग किया जाता है। इसके बाद शिशु बांस निर्मित खिलौनों से खेलकर बड़ा होता है, और बांस निर्मित **तीन पहिया गाड़ी** को पकड़कर वह चलना सिखता है। युवावस्था में युवको के द्वारा बांस के **तीर-धनुष** का उपयोग तथा युवतियों के द्वारा वनोपज संकलन, कृषि कार्य एवं घरेलु वस्तुओं जैसे **टोकनी, सुपा, पर्रा** आदि का उपयोग किया जाता है। इन्ही बांस से **मडवा/मांडो (मंडप)** का निर्माण कर उसके भीतर वर–वधू विवाह की रस्में पूर्ण करते है और एक कमार अपने गृहस्थ जीवन का आरंभ करता है।

एक कमार जब गृहस्थ जीवन में होता है तब उसके द्वारा बांस की दीवार पर मिट्टी की परत चढ़ाकर व छत पर **बांस के छर्रे** बिछा कर अपने घर का निर्माण करता है। जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहता है और परिवार का भरण पोषण बांस की विभिन्न वस्तुएं बनाकर तथा उनका विक्रयकर करता है। वहीं जब एक कमार वृद्धावस्था पर होता और शारीरिक रूप से कमजोर होकर पुनः एक शिशु की भांति चलने मे अक्षम हो जाता है तब वह अपने सहारे के रूप में बांस की **लाठी** का ही उपयोग करता है। अंततः जब वह अपने सजीव शरीर को त्याग देता है तब स्वजातीय सदस्यों द्वारा उसके निर्जीव शरीर को बांस की **टांटी** या **चैली** में रखकर श्मशान तक की यात्रा करायी जाती है। इस प्रकार एक कमार जनजाति का सम्पूर्ण जीवन बांस पर आधारित होना कहा जाना अतिश्योक्ति नही होगी।

वनाच्छादित क्षेत्रों में निवास

सामान्यतः जनजातीय समुदाय वन क्षेत्रों मे निवास करता है। वन क्षेत्रों मे पाये जाने वाले संसाधनों से वह अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं का संग्रहण करता है। इस प्रकार उसके जीवन का ताना–बाना वनोपजो पर आधारित होता है इसमें चाहे व अपने उदरपूर्ति के संसाधनों का संचय करे या अपने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनके विक्रय से अर्थ का संचय भी करता है। इन्ही वनों से प्राप्त पत्तियों, फल, फूल, बीज, काष्ठ, बांस आदि का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करता है तथा प्राप्त उत्पादों जैसे काष्ठ, बांस

व पेड़ों की पत्तियों रेशों आदि से अपने परम्परागत ज्ञान एवं तकनीक के आधार पर वस्तुओं का निर्माण भी करता है।

राज्य में निवासरत कमार जनजाति भी सुदुर वन क्षेत्रों मे निवास करती है। इनके निवास क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से बांस के जंगल भी पाये जाते है। इन बांस के जंगलों से वह अपने दैनिक व आर्थिक उपयोग के अनुसार बांस से आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन क्षेत्रों में निवासरत होने के कारण इनकी बांस बर्तन बनाने हेतु कच्चे माल तक पहुंच सुगम हो जाती है। जिससे वे स्वयं के उपयोग के साथ–साथ विक्रय के उद्देश्य से भी बांस बर्तनों का निर्माण करते है।

परम्परागत कार्यकुशलता



कमार जनजाति को बांसकला में निपुर्ण होते है। एक बालक/बालिका अपने बाल्यावस्था से ही अपने परिवार के सदस्यों को बांस की वस्तुओं के निर्माण में संलग्न पाते है। वे अपने पिता को जंगल से बांस चुनने की कला व उनके अनुभवों को देखते है कि किस प्रकार के बांस का चयन उसके पिता के



द्वारा किया जाता है और बांस की झाड़ियों को छांटकर/काटकर उसके बीच से अपने उपयोग के बांस प्राप्त करता है। बांस को भीगाना, बांस को छिलकर या काटकर उससे नेर व पाती निकालना और फिर उनसे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण वह अपने घर–आंगन में बैठकर देखता है। इस प्रकार एक कमार बालक या बालिका अपने परिवार के सदस्यों के अनुसरण मात्र से ही बांसकला के कौशल का ज्ञान प्राप्त कर लेता है।

बांसकला या बांस से वस्तुओं के निर्माण के लिए बहुत कम ही सदस्यों द्वारा व्यावसायिक या औपचारिक शिक्षा प्राप्त की जाती है। एक कमार सदस्य अपने पूर्वजों से प्राप्त शिक्षा या कौशल के आधार पर ही उनसे बांसकला में पारंगत हो जाता है।

कमार आवास

सामान्यतः एक कमार जनजाति के सदस्य का आवास एक या दो कमरे का होता है तथा कमरों से लगा हुआ व सामने परछी बनायी जाती है, सामान्य समय में बैठक, आगंतुको के बैठक के रूप मे उपयोग किया जाता है। कमार परिवार द्वारा इस परछी में ही बांस बर्तन का निर्माण सभी मौसमों में किया जाता है।





वन क्षेत्रों में निवासरत कमार जनजाति को अपने आवास निर्माण हेतु उपर्युक्त संसाधन वनो से ही प्राप्त हो जाते है। एक कमार आवास में उसके क्षेत्र के अनुसार बांस का उपयोग भी अधिकता में देखने को मिलता है। इनमें आवास की दीवारो का निर्माण बांस की पतली पंक्तियों को उर्द्धवाधर गाड़कर तथा विशेष रूप से गुथकर उसके ऊपर मिट्टी की मोटी परत चढ़ायी जाती है। इनकी छत पर बांस की पंक्तियों के उर्द्धवाधर **छर्रे** बिछायी जाती है। जिसके ऊपर खपरैल या खद्दर (घास–फूस) की परत बिछायी जाती है। आवास की लिपाई लाल या काले मिट्टी से कर उसपर बाजार में मिलने वाले रंगों का लेप भी ईच्छानुसार किया जाता है। आवास के पीछे का भाग बाड़ी का होता है, जिसमें स्थानीय व मौसमी साग–भाजी उगायी जाती है बाड़ी की पशुओं से सुरक्षा के लिए चारों ओर से बांस की फल्लियों से घेरा जाता है।



आवास के भीतर मुख्य कक्ष में वनोपज संग्रहण के पात्र जैसे – **डलिया, ढोलगी, चाप** रखे जाते है जिसमें चार, महुआ, धान आदि उपजों का भण्डारण किया जाता है। शयन कक्ष में उपयोगी कमरे में बांस की **खुटी** तथा छत की पाटी से रस्सी से बंधी **अड़गसनी** टंगी रहती है जिस पर दैनिक उपयोग के कपड़े और ओड़ने की कथरी व चादर टांगी (लटकाई) जाती है। कक्ष और परछी से लगे भाग को उपयोग **रंधनी कुरिया** (रसोई घर) के रूप में किया जाता है इस स्थान पर रसोई उपयोगी वस्तुएं जैसे **सुपा, छारनी, चुरकी, कुरो (पैली), बुटी (टुकनी), सोरेन** आदि पायी जाती है।

===0===

अध्याय - 04 : कमार जनजाति में बांस बर्तन आजीविका का एक साधन

कमार जनजाति कृषि के अलावा मुख्य रूप से अपने परंपरागत व्यवसाय बांस–बर्तन निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु निर्भर है। अधिकांश कमार परिवार में प्रायः सभी सदस्य (स्त्री–पुरुष) बांस बर्तन निर्माण कला में पारंपरिक रूप से दक्ष होते हैं। बांस बर्तन के रूप में कमार बांस निर्मित टुकना–टुकनी, झउंहा, गप्पा, सूपा, पर्रा, हाथखड़ा (पंखा) चुरकी, झाल (झारनी), झांपी, थापा, बिसड़, चटाई (चाप) एवं मौर इत्यादि बनाने का कार्य भी करते हैं ।

बांस–बर्तन निर्माण हेतु कच्ची सामग्री के रूप में कच्चा बांस (हरा बांस) लाने प्रायः कमार पुरूष स्थानीय वनों से बांस काट कर अपने घर लाता है। वनों में बांस इत्यादि की कमी होने के कारण इन्हें दूर–दराज के जंगलों पहाड़ों में भी जाना पड़ता है।





बांस बर्तन के निर्माण में एक वयस्क सदस्य अपने माता–पिता को देखकर ही बांस बर्तन बनाने की कला को सीखता है। प्रतिदिन की दिनचर्या में वह अपने माता–पिता या अन्य सदस्यों की कार्य में सहायता करता है और उनके कौशल का ज्ञान प्राप्त करता है। बांस बर्तन के निर्माण मे प्रत्येक सदस्य की भूमिका अलग–अलग होती है। जहां एक वयस्क पुरूष सदस्य जंगल से बांस काटकर लाने, उससे पाती और नेर (महीन पंक्तियां या रेशे) निकालने का कार्य करता है जिसके बाद महिलाएं उसे वस्तु का स्वरूप में गुथती है। इस कार्य में घर की वृद्ध महिलाएं भी अपने परम्परागत कौशल से बांस बर्तन बनाती है और परिवार के छोटे सदस्यों को भी यह कौशल सिखाती है।

कमार जनजाति बांस–बर्तन का विक्रय स्थानीय कोचिया, हाट–बाजार आदि में करते है। अधिकांशतः महिलाएं ही हाट–बाजार में अपने उत्पाद/बांस–बर्तन का विक्रय एवं विनिमय करती है तथा उससे प्राप्त आय से साप्ताहिक दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं साग भाजी बाजार से खरीदती है।



कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का आर्थिक जीवन बांस–बर्तन एवं वन आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है।

===0===

अध्याय - 05 : कमार जनजाति में बांस-बर्तन

1. निर्माण किए जाने वाली वस्तुएं



कमार जनजाति का अर्थोपार्जन का स्रोत कृषि, वनोपज संग्रहण, मजदूरी कार्य, कृषि–मजदूरी, पशुधन व अन्य स्रोतों के साथ–साथ बांस–बर्तन का निर्माण करती है। जो प्रमुख रूप से आय का साधन है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की निर्माण किया जाता है जो निम्न है – टुकना–टुकनी, छोटी टुकनी (बुटी), पैली (कुरो), झउहा (गोबराही), गप्पा (चंगोरा), सुपा, चटाई (चाप), बीजबोनी **(झेझरी)**, डाली (डलिया), ढालांगी, पर्रा, पंखा (हाथखांडा), चुरकी, झांपी, झुनझुना, झाल (छारनी), काठा आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।





2. वस्तु निर्माण हेतु उपयोगी बांस प्रकार



अलग–अलग बांस के आधार पर ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की बांस पाए जाते हैं –

I. सालिग बांस

दो–तीन फीट की दूरी में गाठ होने के कारण ''**पाती**'' आसानी से निकालते हैं। इससे बच्चों के खिलौने एवं सजावट समाग्री बनाने में उपयोग किया जाता है।



ii.बांलिग बांस

इसमें 40 या 50 गद (गाठ) जिसकी दूरी 2 फीट से अधिक होने के कारण इससे ''**पाती**'' (बांस बर्तन निर्माण हेतु उपयोग भाग) सरलता से निकालते हैं। इस पाती से ही **सूपा, चटाई, खुमरी** आदि बनाये जाते हैं। जो लंबाई और चौड़ाई लिये होते है।



iii. काड़ी बांस

इस प्रकार के बांस की मोटाई अपेक्षाकृत कम होती है। इनमें लगभग एक–एक फीट की दूरी में गद (गाठ) होने के कारण इससे ''**नेर**'' (बांस के महीन रेशे) सरलता से निकालते हैं। इस प्रकार के बांस से प्राप्त नेर लचिले होते है, जिन्हें सरलता से गोलाई में ढाला जा सकता है। इन रेशो से **झउंहा** आदि बनाया जाना सरल होता है।

iv. बीजी बांस

उक्त दोनों प्रकार के बांस से इस प्रकार के बांस में अपेक्षाकृत गाठ की दूरी कम, लगभग आधा फीट के अंतराल में होते है। इस प्रकार के बांस कांटे मुक्त होते है। इस कारण इनसे उपयोगी महीन रेशे (नेर) प्राप्त करने में कठिनाई कम होती है। अतः इससे बड़े आकार के वस्तु जैसे **पर्रा, टुकना-टुकनी, छारनी (झाल), ढोलगी, (ढोलंगी - धान रखने का पात्र)** सुगमता से बनाया जा सकता है।



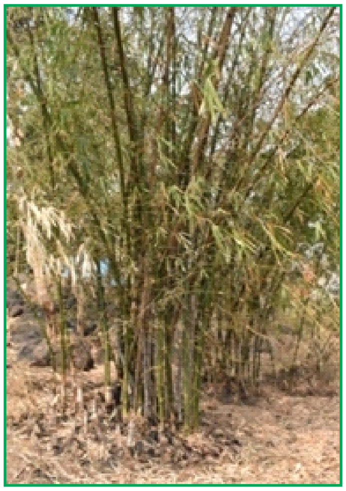
v. कटग बांस

इस प्रकार के बांस में गाठ (गद) की दूरी आधा फीट होने के कारण इससे कांड पाटी एवं घर के छप्पर "बत्ता" के रूप में उपयोग किया जाता है। यह बांस अन्य बांस की तुलना में अधिक मजबूत होते है।



vi. रामबांस

इस बांस की लंबाई अधिक, पतला एवं गाठ की दूरी 1 फीट में होते हैं। इस बांस की विशेषता है कि, ये लम्बाई मे व सीधे होते है। इसका वस्तु निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता है। वरन् देवी देवता के लिए मड़ई–मेला में ''**डाग**'' के रूप में उपयोग किया जाता है। साथ ही इस प्रकार के बांस का उपयोग मछली पकड़ने मे प्रयुक्त उपकरण ''**गरी**'' के रूप में भी किया जाता है।



vii. पोला बांस

इस प्रकार के बांस बीच से खाली या पोले होते है इनमें गाठ लगभग तीन फीट की दूरी में होता है। इनसे अधिकांशतः बांसूरी, झुनझुना जैसे वाद्ययंत्र, खिलौने तथा पंखा (हाथखड़ा), धूकनी, सोरेन व अन्य घरेलु उपकरण बनाये जाते है।

viii. डोंगरी बांस (सुंलग)

यह बांस सीधा, लंबा एवं गाठ लगभग एक फीट की दूरी पर होता है। इससे सूपा, चटाई (चाप), पंखा (हाथखाडा) आदि वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है।

ix. भालकी बांस

इस प्रकार के बांस की लंबाई लगभग 30 या 40 फीट का होता है। इसकी गाठ (गद) की दूरी लगभग 2 फीट की होती है। इससे पाती (पत्तू) से सूपा, चटाई (चाप) पंखा (हाथखाडा), झुनझुना, ढोलांगी (ढोलगी) आदि बनाया जाता है।

3. वस्तु निर्माण हेतु बांस प्राप्ति

कमार जनजाति द्वारा **पौष माह से लेकर बैशाख माह** के बीच बांस बर्तन का निर्माण किया जाता है। क्योंकि इस अवधि में कृषि कम की जाती है तथा वनोपज भी अल्प मात्रा में प्राप्त होते है साथ ही इस माह में बांस के पौधे विकसित होते है और अच्छे किस्म के उपयोगी बांस प्राप्त होते है। अतः आने वाले चार या पांच माहो के आर्थिक स्थिति में कमी की पूर्ति की जाती है। बांस बर्तन निर्माण करने में पुरुष–महिला सदस्य के साथ–साथ घर के बुजुर्ग एवं बच्चों का भी सहयोग रहता है।

बांस काटने (गोदेंल) के लिए ग्राम से लगे घने जंगल एवं पहाड़ियों में पगडंड़ी रास्ता से पैदल जाकर अलग–अलग प्रकार के हरे बांस की पहचान उपयोगितानुसार कर कुल्हाड़ी से दो फीट छोड़कर अनुपयोगी भाग को अलग कर दिया जाता है। कटे/प्राप्त बांस को चार फाती (फलक) या भागों में विभक्त किया जाता है, इसके दो भाग (गाठ/गद वाला हिस्सा) वस्तु निर्माण में काम नहीं आता है। शेष दो भाग ही वस्तु निर्माण के लिए उपयोगी होता है। जिसे गोलाकार "मोरी" बनाकर लाया जाता है। एक मोरी (गट्ठा) में लगभग 15 से 20 की संख्या में बांस की फलकें होती है। हरे बांस को एक सप्ताह तक बांस बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है इसके बाद यदि बांस सूख जाने की स्थिति में हो तो उसे नदी या नाले में ले जाकर एक या दो दिन तक पानी में डुबाकर रखते हैं। जिससे बांस में लचीलापन आ सके और पाती, नेर आसानी से निकाला जा सके।



छुरी से बांस को छीलकर लंबी–लंबी पट्टियां निकाली जाती है जिसे **नेर** एवं **पाती** कहते हैं। नेर एवं पाती को बांस के बने उपकरण **घोड़ी** तथा लोहे की **छुरी** की सहायता से सफाई किया जाता है। इसके बाद ही वस्तु का निर्माण किया जाता है। वस्तु निर्माण होने के बाद ही माहूर (माहु) रंग को पानी में मिलाकर रंग बनाया जाता है जिसे खेड़का (ब्रश) के द्वारा नेर एवं पाती में रंगा जाता है।

4. वस्तु निर्माण हेतु बांस का चयन एवं उपयोगी भाग

कमार जनजाति के लोग अपने उपयोग में आने वाले बांस को अपने पूर्वजों के द्वारा बताये गये वृक्ष या पौधे की पहचान के लक्षण और अपने अनुभव के आधार पर देखकर ही बांस की आयु व





उपयोग संबधी पहचान कर लेते है। यह अपने अनुभव से इस बात का भी सटीक अनुमान लगा लेते है कि, बांस कितने माह एवं वर्ष का है। इनके द्वारा बांस के पौधे की आयु के आधार पर उन्हें अलग–अलग नाम दिये गये है।

एक वर्ष के बांस को **महला (केपरी)**, दो वर्ष के बांस को **पखिया (जुरहा)** एवं तीन वर्ष वाले बांस को **पिवरही बांस** कहते हैं। उपर्युक्त बांस की किस्मों में से वस्तुओं के बांस बर्तन या वस्तु के निर्माण में **महला** एवं **पखिया** बांस का उपयोग अधिकांशतः किया जाता है। इस बांसो के उपयोग का कारण इनके अधिक लंबाई में होना तथा इनके दो गांठों के बीच का अंतराल अधिक होना है। बांस के गांठों के बीच अंतराल होने से ये अपेक्षाकृत अधिक लचीले हो जाते है जिससे सुखने या नमी कम हो जाने पर इनके टुटने की संभावना कम होती है। साथ ही यह बांस चिकने एवं रेशेदार होते है, जो आसानी से वस्तु निर्माण में चाही गई आकृति में सरलता से ढल जाते है।





जंगल से बांस काटने जाने को इनके द्वारा कमारी बोली में **बांस गोंदेल जाथन** एवं बांस काटने की क्रिया को **बांस मारना** कहा जाता है। काटे गए बॉस को चार हिस्सा में विभक्त या पृथक कर लिया जाता है। प्रत्येक भाग को **बिजना** कहा जाता है। इस प्रकार एक बांस से 04 **बिजना** प्राप्त होते है। इन 04 भाग के केवल 02 भाग बांस बर्तन निर्माण मे उपयोगी होते है। जिसमें गांठ प्राप्त नही होते है उन्हें **सराया** और **सुवा** कहा जाता है। इस भाग से वस्तु निर्माण में पर्याप्त लचक व रेशे प्राप्त हो जाते है जिससे महीन बांस की पक्तियां यथा **नेर** व **पाती** सरलता से निकलते है। बांस की फलियों से निकले नेर व पाती से ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। शेष दो भाग जिसमें **गद** (गाठ) हो वस्तु निर्माण में उपयोगी नही माना जाता है। क्योंकि गांठ वाले भाग में लचक व रेशे नही होने के कारण यह भाग उपयोग नही किया जा सकता है, गांठ वाले भागो को उपयोग करने पर यह निर्माण के समय या बांस की नमी कम हो जाने/सुख जाने पर टुट जाते है।





बांस बर्तन बनाने के लिए अच्छे किस्म के कच्चे बांस भादो माह (सितम्बर माह) से फागुन माह (मार्च माह) के बीच पर्याप्त मात्रा में मिल जाते है। किन्तु इस समय के बाद उपर्युक्त बांस की कमी शेष माहो में नही हो पाती क्योंकि अन्य माह में बांस के पौधे सूख जाते है और सूखे बांस उपयोग के समय टूट जाया करते है।

कच्चे बांस की अनुपलब्धता में सूखे बांस के 20 या उससे अधिक काटी गई **बिजना** (फलियों) को एक साथ बांध कर ले जाया जाता है जिसे **भारा** या **बोझा** कहा जाता है। भारा को नदी या नालों में पानी के भीतर किसी चट्टान या पत्थर के पास रख कर एक अन्य पत्थर से दबा दिया जाता है। इस प्रकार से उस बांस को 01 से 02 दिन तक पानी में डुबाकर छोड़ दिया जाता है। 02 दिन में या उसके बाद उस बांस को पानी से निकालकर वस्तु बनाने में उपयोग किया जाता है।

पानी में डूबे रहने और भीग जाने के कारण बांस के रेशे नरम व लचीले हो जाते है जिससे उनसे उपयोग अनुसार नेर व पाती सरलता से निकाल लिया जाता है और वस्तु निर्माण किया जाता है।



5. वस्तु निर्माण विधि -





बांस से वस्तु निर्माण का प्रथम चरण कच्चे बांस की प्राप्ति से होता है। कच्चे बांस प्राप्त हो जाने के बाद बांस को कुल्हाड़ी की सहायता से बीच से लंबवत फाड़ कर बांस के 02 बिजना प्राप्त किये जाते है। इन **बिजना** से ही बांस बर्तन का निर्माण किया जाता है। बिजना को घर पर लाकर उन्हें और महीन रूप में फाड़ कर 1–2 दिन सुखाया जाता है जिससे अतिरिक्त नमी कम हो जाती है। इसके बाद उसे लोहे की छूरी की सहायता से पतले–पतले **पाती** व **नेर** निकाले जाते है। पाती की चौड़ाई लगभग 1 से 2 ईंच की होती है तथा नेर की चौड़ाई या गोलाई 2 से 3 सेमी. के बराबर ही होती है। नेर की चौड़ाई या मोटाई वस्तु की आकृति के अनुसार को कम या ज्यादा रखी जाती है।

पाती और नेर में अतिरिक्त रेशे होने से बुनाई के समय इसके रेशे हाथ में न लगे इसके लिए पाती और नेर को बांस से बनी **घोड़ी** में फसाकर खिंचा जाता है, और **छुरी** से अतिरिक्त रेशे बाहर निकाले जाते है जिससे पाती व नेर में आवश्यकतानुसार चिकनाई तथा लचिलापन आ जाता है।



उपयोग अनुसार पाती एवं नेर प्राप्त हो जाने पर वस्तु निर्माण गुथाई (बुनाई) का कार्य किया जाता है। वस्तु की बुनाई वस्तु के आकार पर निर्भर करती है। पृथक–पृथक वस्तु की बुनाई में नेर तथा पाती की संख्या पृथक–पृथक होती है। टोकरी, छउहा, डाली, डलिया, झांपी, पर्रा आदि में नेर एवं पाती दोनो का उपयोग किया जाता है। सुपा, चटाई, चाप, ढोलगी आदि केवल पाती से तैयार की जाती है तथा झेंझरी, दांदर, चोरिया जैसी वस्तुएं केवल नेर से बनाई जाती है। प्रमुख वस्तुओं के निर्माण की विधि निम्नानुसार है –

वस्तु की बुनाई -



एक टोकरी, पर्रा आदि को बनाने में एक बांस (लगभग 10 फीट) की आवश्यकता होती है। टोकरी/पर्रा निर्माण में नेर व पाती दोनों का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम वस्तु के आकार के आधार पर पाती को विषम संख्या अर्थात 5, 7, 9 आदि में पाती के बीच के भाग को एक साथ एक के ऊपर एक Zig Zak रखा जाता है। जिससे एक पाती दो भागों में बट जाता है इस प्रकार 5 पाती से 10 त्रिज्याएं और 7 पाती से 14 त्रिज्याएं बन जाती है। इसके प्रत्येक पाती को एक त्रिज्या के मान से इनके मध्य से गोल क्रम में पाती को नेर से एक साथ बुना जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पाती को नेर से बांधते हुए बुनाई की जाती है। प्रत्येक बार नेर को पाती में ।सजमतदंजम क्रम से घुमाते हुए बुनाई की जाती है। नेर की बुनाई पाती के अंतिम छोर तक की जाती है। एक बड़े आकार की टोकरी/पर्रा की बुनाई लगभग 2–3 घण्टे में पूर्ण हो जाती है।

बुनाई पूरी हो जाने के बाद वस्तु को कुछ देर के लिए पानी में भीगाया जाता है और पुनः सुखाया जाता है। इसके सूख जाने पर आवश्यकता अनुरूप वस्तु की रंगाई कर उसे आकर्षक बनाया जाता है।







सुपा, चाप, ढोलगी, डाली, गप्पा आदि की बुनाई में केवल पाती का उपयोग किया जाता है। वस्तु के आकार के आधार पर पाती की लम्बाई या चौड़ाई निर्धारित रहती है। Alternate क्रम में पाती को व्यवस्थित कर उसे बनाये जाने वाले वस्तु का आकार दिया जाता है।

वस्तु की रंगाई -

बांस से निर्मित वस्तु बुनाई की विशिष्ट शैली के कारण स्वयं में आकर्षक दिखाई देती है। किन्तु स्थानीय मांग या वस्तु के विशेष प्रयोजनों जैसे विवाह, धार्मिक अनुष्ठानों या सजावटी कार्य में उपयोगिता के दृष्टि से कभी–कभी उन्हें पृथक रंगों में रंग कर और अधिक आकर्षक भी बनाया जाता है। इसके लिए वस्तु की बुनाई के पश्चात बांस के एक टुकड़े के एक सिरे को हथौड़ी से पीटकर ब्रश बनाया जाता है, जिसे **खेड़हा** या **बुची** कहा जाता है। वस्तु की रंगाई अधिकांशतः लाल व नीले रंग में ही की जाती है। लाल रंग के लिए **महुर** तथा नीले रंग के लिए **टेहरा रंग** का उपयोग किया जाता है जिसे स्थानीय बाजार से क्रय किया जाता है।







बाजार से क्रय किये गये रंगों को पानी में मिलाकर घोल तैयार किया जाता है और इन्हें खेड़हा की सहायता से वस्तु के पाती वाले भागो में रंगा जाता है।

6. बांस बर्तन निर्माण में उपयोगी उपकरण

वस्तु निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की औजार एवं उपकरण का उपयोग किया जाता है जो निम्न हैः–

क्र.	स्थानीय नाम	कमारी बोली में वस्तुओं के नाम	निर्माण सामग्री	उपयोग
1	कुल्हाडी	टंगिया	लोहा, बांस	बांस पेड को काटने, छिलने, चार भाग करने में
2	छुरी	छुरी	लोहा	पाती, नेर, सिकुन एवं गाठ (गद) को निकालने, सफाई करने में
3	घोड़ी	घोड़ी	बॉस, सिहारी रस्सी	पाती एवं नेर की सफाई
4	टेवनापत्थर	पेखान या सहान	पत्थर	छुरी धार करने में
5	साजा पेड़ का टुकडा	हल्इ या कोटेला	साजा पेड़	पटटी, पाती, नेर रखकर काटना
6	हथौड़ी	मुठेली	लोहा बॉस	खेड़का बनाना
7	ब्रश	खेड़का	बॉस	पाती एवं नेर को रगंने में

===0===

अध्याय – 06 : कमार जनजाति द्वारा बांस से निर्मित वस्तुएं

कमार जनजाति द्वारा बांस का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के उपयोगी एवं साज–सज्जा से संबंधित वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इनके द्वारा निर्मित प्रमुख विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	वस्तु का नाम	कमारी बोली	प्रयुक्त बांस	गुथाई का समय (घण्टे में)	संलग्न सदस्य	कमार द्वारा विक्रय का मूल्य
1	टुकना–टुकनी	टुकना–टुकनी	1/2	2	2	30
2	छोटी टुकनी	बुटी	1/2	2	1	25
3	पैली	कुरो	1/2	2	1	40
4	झउंहा	गोबराही	1	3	2	60
5	गप्पा	चंगोरा	1/2	2	1	40
6	सूपा	सूपा	1	2	2	90
7	चटाई	चाप	2–3	4	2	120
8	बीजबोनी	झेन्झरी	1/2	2	1	40
9	डाली	डलिया	1	3	2	60
10	ढोलांगी	ढोलगी	3	5	2	150
11	पर्रा	पर्रा	1	2	2	55
12	पंखा	हाथखाड़ा	1/2	1	1	15
13	चुरकी	चुरकी	1/2	2	1	30
14	खुमरी	मुड़ा	2	5	2	80
15	झांपी	झांपी	3	5	2	130
16	झाड़ू	बाहरी	1/2	1	1	15
17	खरहरा	वाधना	1/2	1	1	15
18	झूनझूना	झुनझूना	1/2	1	1	15
19	काठा	काठा	1	2	2	80
20	मौर	मौर	1/2	1/2	1	20
21	झाल	छारनी	2	4	2	80

उपरोक्त सामग्री कमार सदस्य द्वारा अपने निवास में अथवा कोचिये के आने पर उक्त दर्शित दर पर अपनी सामग्री का विक्रय करता है। जिससे उन्हें अपने घर पर ही सामग्री का मूल्य प्राप्त हो जाता है। कुछ स्थिति में कोचिये के द्वारा पूर्व में ही इन्हें बनायी जाने वाली वस्तुओं की सूची तथा राशि अग्रीम रूप से दे दी जाती है। जिसका एक धनात्मक पहलु यह है कि, इन्हें अपने उत्पाद के विक्रय होने की प्रतिक्षा नही करनी पड़ती। जिसके अनुरूप वे सामग्रियो के निर्माण में निरंतर लगे रहते है।

कमार जनजाति द्वारा एक वस्तु के निर्माण (बांस की कटाई से लेकर वस्तु निर्माण) में कम से कम 2 सदस्य संलग्न रहते है। इस प्रकार वे दिन में कम से कम 3 बांस–बर्तनों जैसे सूपा, टोकनी, पर्रा आदि का निर्माण कर लेते है। जिसमें इनके द्वारा औसतन 70 x 3 = 210 रूपये तक का बांस–बर्तन तैयार कर लिया जाता है। इस प्रकार संलग्न 02 सदस्यों को लगभग 100 रूपये की आय प्राप्त होती है, जो इन क्षेत्रों में प्रचलित प्रति दिवस / प्रति व्यक्ति निजी मजदूरी दर के लगभग बराबर होती है।

क्र.	वस्तु का नाम	कमारी बोली	कमार द्वारा कोचिया को विक्रय मूल्य	कोचिये द्वारा बाजार में विक्रय मूल्य (प्रचलित)
1	टुकना–टुकनी	टुकना–टुकनी	30	50
2	छोटी टुकनी	बुटी	25	35
3	पैली	कुरो	40	60
4	झउंहा	गोबराही	60	80
5	गप्पा	चंगोरा	40	50
6	सूपा	सूपा	90	110
7	चटाई	चाप	120	140
8	बीजबोनी	झेन्झरी	40	50
9	डाली	डलिया	60	70
10	ढोलांगी	ढोलगी	150	160–170
11	पर्रा	पर्रा	55	65
12	पंखा	हाथखाड़ा	15	20
13	चुरकी	चुरकी	30	40

14	खुमरी	मुड़ा	80	90
15	झांपी	झांपी	130	145—150
16	झाडू	बाहरी	15	20
17	खरहरा	वाधना	15	20
18	झूनझूना	झुनझूना	15	20
19	काठा	काठा	80	90—100
20	मौर	मौर	20	30
21	झाल	छारनी	80	90—100

उपरोक्तानुसार कोचिये के द्वारा कमार परिवार से उसके निवास या क्षेत्र से बांस—बर्तनों का क्रय कर उसे स्थानीय बाजार या ग्रामों से लगे कस्बों या शहरों में घूम—घूमकर खरीदी मूल्य से 10—40 रूपये अधिक कीमत पर विक्रय किया जाता है।

2. बांस से निर्मित वस्तुओं के नाम तथा उपयोग

1. घरेलु वस्तु

क्र.	वस्तुओं के स्थानीय नाम	कमारी बोली में वस्तुओं के नाम	उपयोग
1	टुकना—टुकनी	टुकना—टुकनी	कृषि एवं घर में उपयोग
2	छोटी टुकनी	बुटी	महुआ फल सुखाने
3	पैली	कुरो	चावल नापने के लिए
4	झउंहा	गोबराही	गोबर एवं मिट्टी फेकने
5	गप्पा	चंगोरा	महुआ फल इकट्ठा एवं देवी—देवता
6	सूपा	सूपा	अनाज साफ करने
7	चटाई	चाप	बैठने
8	बीजबोनी	झेन्झरी	धान बोने के लिए
9	डाली	डलिया	धान एवं अनाज रखने
10	ढोलांगी	ढोलगी	धान का भण्डारण
11	पर्रा	पर्रा	विवाह संस्कार, बडी सुखाने
12	पंखा	हाथखाड़ा	विवाह के समय
13	चुरकी	चुरकी	समाग्री रखने के लिए

14	खुमरी	मुड़ा	धूप से बचने के लिए
15	झांपी	झांपी	कपड़े रखने
16	झाड़ू	बाहरी	घर सफाई
17	खरहरा	वाधना	आंगन सफाई
18	झूनझूना	झुनझूना	विवाह में
19	काठा	काठा	अनाज नापने
20	मौर	मौर	विवाह में
21	झाल	छारनी	पके चावल को पसाने (चांवल का पानी अलग करने)

2. मत्स्य आखेट के उपकरण

क्र.	स्थानीय नाम	उपयोग
1	ढूठी	मछली या पक्षी (शिकार के बाद) रखने
2	थापा	कम पानी में मछली पकडने
3	बिसड़	खेत के भरे पानी में मछली पकड़ने
4	धीर	खेत के भरे पानी में मछली पकड़ने
5	चेरिया	बहते नाले या नदी में मछली पकड़ने 
6	गरी	मछली पकड़ते है
7	बीटो	बांस में रस्सी लगाकर मछली पकड़ने
8	दांदर	बहते नाले या नदी में मछली पकड़ने
9	पेलना	तालाब में मछली पकड़ने

3. शिकार उपकरण

क्र.	स्थानीय नाम	उपयोग
1	धनुष	बड़े जानवर के शिकार
2	कांड	बड़े जानवर के शिकार
3	फतका (फांदा)	पक्षी पकड़ने के लिए

4. अन्य सामग्री -

कमार जनजाति द्वारा उपरोक्त वस्तुओं/उपकरणों के अतिरिक्त खेतो से फसल ढोने, पानी लाने, मिट्टी–पत्थर लाने व घास लाने के लिए कांवर का उपयोग किया जाता है। **कांवर** एक बांस की लंबी लकड़ी होती है जिसके दोनो सिरों पर फसल के बिड़ा रखकर लाया जाता है। वही कांवर के दोनो सिरों पर रस्सी बांधकर उसमें जल के पात्र या डलिया रखकर अन्य सामाग्री रखकर लायी जाती है।

कमारों के द्वारा विभिन्न उपयोगी वस्तुओ के निर्माण के साथ–साथ बांस का उपयोग कर **बांसुरी** जैसे मधुर संगीत के वाद्ययंत्रों का भी निर्माण किया जाता है। इनके द्वारा छोटे बच्चे के चलने या खेलने के लिए बांस निर्मित **तीन चकिया** (तीन पहिया गाड़ी) जैसे खिलौने भी बहुत सुंदर ढंग से बनाये जाते है।

===0===

अध्याय – 07 : समस्या एवं सुझाव

राज्य में अधिकांश कमार जनजाति ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनजाति एकाकी जीवन तथा शहरी संपर्क से दूर रहना ही पसंद करती है। वर्तमान समय में वन क्षेत्रों में कमी, वन संरक्षण नियमों का विस्तार व सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ापन इनके जीवन के साथ–साथ बांस बर्तन निर्माण में भी समस्याएं उत्पन्न करता है। कमार जनजाति सदस्यों के अनुसार तथा प्रत्यक्ष अवलोकन से इस जनजाति को बांस–बर्तन निर्माण में या इस कार्य में संलग्नता में कमी आने के प्रमुख कारण अथवा समस्याएं निम्न है –

1. वन क्षेत्रों में बांस के जंगलों की कमी से इन्हें आवश्यकता अनुसार कच्चा माल (कच्चा बांस) प्राप्त नही हो पाता है।
2. वन क्षेत्रों में गठित वन समिति द्वारा पर्याप्त मात्रा तथा बांस बर्तन निर्माण में उपर्युक्त अच्छे किस्म का बांस प्राप्त नही हो पाता है।
3. ग्राम के निकट के साप्ताहिक हाट बाजारों में इनके उत्पाद की मांग वर्ष पर्यन्त नही रहती है, जिसके कारण बांस बर्तन निर्माण में परिवार के 2 या दो से अधिक सदस्य परिश्रम करते है, इन सदस्यों के द्वारा एक दिवस में बनाये गये उत्पाद का उचित मूल्य या पारिश्रमिक भी इन्हें प्राप्त नही होता है।
4. साप्ताहिक हाट बाजारों में इनके उत्पादो की मांग कम होने के कारण ये इन्हें कम दाम पर भी कोचिये या बिचौलियों को विक्रय कर देते है।
5. बांस से निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु निर्धारित दर, बाजार, समिति की व्यवस्था नही होने के कारण इनका लाभ कोचिये या बिचौलियों द्वारा लिया जाता है।
6. बांस बर्तन निर्माण हेतु कच्चे माल की कमी और उचित पारिश्रमिक मूल्य न मिल पाने के कारण कई परिवारों द्वारा वर्तमान में बांस बर्तन निर्माण/बांसकला के प्रति रूचि में कमी देखने को मिल रही है। जिससे **कमार जनजाति के परम्परागत कार्य या कार्य कौशल का हास हो रहा है।**

सुझाव

1. कमार जनजाति परंपरागत रूप से एक कुशल बांस–बर्तन निर्माता समुदाय है। जो अपने पूर्वजों से सीख कर वर्तमान में भी बांस–बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में शासन द्वारा वनों से बांस की अवैध कटाई वर्जित है, फलस्वरूप इन्हें बांस–बर्तन निर्माण हेतु कच्चा माल सुगमता से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जिस कारण कई परिवारों द्वारा बांस–बर्तन बनाने का कार्य छोड़ना पड़ा है, जिससे वे आर्थिक रूप से असक्षम या कमजोर हो रहे है।

   शासन द्वारा कई स्थानों पर वन समिति द्वारा कच्चा बांस उपलब्ध कराया जाता है। किंतु वन समिति के माध्यम से आवश्यकता अनुरूप बांस उपलब्ध नहीं होता है।

   अतः आवश्यकतानुसार वन समिति द्वारा बांस उपलब्ध कराने की व्यवस्था किया जाना उचित होगा। जिससे कमार परिवार आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो सके।

2. बांस–बर्तन निर्माण के पश्चात ये अपने उत्पाद को केवल स्थानीय बाजार तक ही विक्रय कर पाते हैं जहां इनके उत्पाद की मांग अपेक्षाकृत कम होती है और इन्हें उसका मूल्य भी कम ही प्राप्त होता है।

3. अध्ययन में पाया गया कि, कुछ कमार ग्रामों में उनके उत्पादों को कोचिये या बिचौलिये ग्राम में ही आकर कम मूल्य में खरीद लेते है और उन्हें अन्य बाजारों, शहरों आदि में अधिक दामों में विक्रय करते है। बांस बर्तन निर्माण में संलग्न कमार परिवारों को वस्तु का उचित मूल्य प्राप्त नही हो पाता है।

   अध्ययन में यह भी देखा गया कि, कुछ स्थानों में कोचिये के द्वारा बांस बर्तन बनाने के लिए इन्हें अग्रीम के रूप में भी राशि दे दी जाती है। जिससे यह परिवार एक ओर बिचौलिए के कर्जदार हो जाते है और साथ ही वे अपने उत्पाद किसे अन्य को भी नही बेच पाते है।

   अतः इनके उत्पादों को सीधे रूप से एक निश्चित दर पर क्रय किये जाने सुलभ बाजार, उचित मूल्य की दुकान या क्रय समिति का गठन किये जाने का आवश्यकता प्रतीत होती है, जिससे उन्हें उचित मूल्य और लाभ प्राप्त हो सकें।

4. बांस की कम तथा उचित मूल्य नही मिलने के कारण बांस बर्तन निर्माण में संलग्न सदस्यों या परिवारों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जिस कारण बांस बर्तन निर्माण/बांसकला के परम्परागत ज्ञान का ह्रास हो रहा है। कमार जनजाति की कुछ पीढ़ियां तो वर्तमान में अपने परम्परागत कार्य को भूल चुकी है जिस कारण वे अन्य कार्यों में संलग्न हो गई है।

बांस बर्तन निर्माण बांसकला के संरक्षण व संवर्धन हेतु बांसकला/बांस बर्तन निर्माण में संलग्न कुशल सदस्य को मास्टर ट्रेनर के रूप में उपयोग कर कमार जनजाति के अन्य सदस्यों को इस कला का प्रशिक्षण देते हुए उनके लिए स्वरोजगार के माध्यम विकसित किये जा सकते है।

अतः इन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में खादी ग्रामोद्योग परिषद द्वारा वर्ष 1979–80 में स्थापित बांस कला केन्द्र जगदलपुर की भांति कमार जनजाति निवासरत जिलों में बांस कला केन्द्र सह प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने एवं निर्मित वस्तुओं हेतु बाजार उपलब्ध कराये जाने के प्रयास की आवश्यकता प्रतीत होती है ताकि राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार में उनके जीविकोपार्जन हेतु पारंपरिक व्यवसाय को संरक्षित एवं संवर्धित किया जा सके।

===0===